न्यायालय–मनीष कुमार लोवंशी, विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस एक्ट, इंदौर (म.प्र.)

प्रतिभूति आवेदन कमांक 2984/2026
अपराध कमांक 557/2026
फाईलिंग नंबर 50983/2026

अनिल पिता मनोहरलाल,
उम्र–38 वर्ष, व्यवसाय– मजदूरी,
निवासी–518 भागीरथपुरा, इंदौर (म.प्र.) .....आवेदक/आरोपी

वि रू द्ध

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र–कनाडिया, इंदौर, म.प्र. .....अभियोगी/फरियादी

———————————————————————————————

07.08.2026 आवेदक/आरोपी अनिल द्वारा श्री कमलेश बांगर अधिवक्ता।

अनावेदक राज्य द्वारा श्री श्याम दांगी विशेष लोक अभियोजक उपस्थित।

प्रकरण आवेदक/आरोपी अनिल के जमानत आवेदन के संबंध में केस डायरी मय प्रतिवेदन एवं आवेदन पर तर्क हेतु नियत है।

आरक्षी केन्द्र कनाडिया, इंदौर से अपराध कं. 557/2026 अंतर्गत धारा 8/20, 29 एन.डी.पी.एस. एक्ट की केसडायरी मय प्रतिवेदन प्राप्त।

आवेदक/आरोपी की ओर से प्रस्तुत **प्रथम** जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर उभयपक्ष को सुना गया।

माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा एमसीआरसी क. 8227/23 (दीपक यादव विरूद्ध स्टेट आफ एम.पी.) में पारित आदेश दिनांक 01.04.2023 के पालन में विवरण :–

पुलिस थाने का नाम	कनाडिया
अपराध कमांक	557/2026
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	22.07.2026

आरोपी की गिरफ्तारी दिनांक	22.07.2026
आरोपी का पूर्व आपराधिक इतिहास	संलग्न नहीं
जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का प्रक्रम	विवेचनाधीन
अभियोग पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	पेश नहीं।

आवेदक/आरोपी का जमानत आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि उसे सदर अपराध में दिनांक 22.07.2026 को असत्य आधारों पर गिरफ्तार कर पेश किया गया था बाद दिनांक 23.07.2026 को आरोपी का जेल वारंट बनाकर आरोपी को जेल भजा गया था तभी से आरोपी जेल में है। वह मजदूर पेशा व्यक्ति है, एक संभ्रात परिवार का सदस्य होकर अपने परिवार का एक मात्र कमाने वाला सदस्य है, जमानत का लाभ दिए जाने पर वह जमानत का दुरूप्रयोग नहीं करेगा। प्रकरण में सहआरोपीगण को जमानत का लाभ प्रदान किया जा चुका है। वह इंदौर शहर का स्थायी निवासी होकर उसकी चल–अचल सम्पत्ति इंदौर में स्थित होकर उसके जमानत पर रिहा किए जाने पर जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। वह न्यायालय द्वारा समस्त आदेशों निर्देशों का पालन करनेके लिए व योग्य आकार प्रकार की जमानत प्रस्तुत करने हेतु तत्पर है। अतः उसे प्रकरण में योग्य जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया गया है।

आवेदक/आरोपी की ओर से प्रस्तुत आवेदन के समर्थन में आवेदक/आरोपी के भाई लखन ने स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है।

राज्य की ओर से उपस्थित विशेष लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता के आधार पर जमानत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 22.07.2026 को थाना कनाडिया, इंदौर के उपनिरीक्षक शोभाराम जाटव थाने से मय हमराह फोर्स के रात्रि गस्त हेतु रवाना होकर बिल्लू मालवीय का खेत टीपीएस 09 रोड बिचौल हप्सी इंदौर पहुंचे जहां पर अनिल बौरासी एवं अनिल उर्फ दादू नामक दो व्यक्ति दिखे जिसके बाद अनिल के हाथ में लिये नीले रंग की थैली की तलाशी लेते उसमें थैली सहित कुल 1157 ग्राम गांजा होना पाया गया। जिसके पश्चात सहआरोपीगण अनिल बौरासी एवं

प्रिंस उर्फ दादू को गिरफ्तार किया जाकर उनके विरूद्ध थाना कनाडिया पर अपराध कं. 557/2026 अंतर्गत धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान सहआरोपी अनिल द्वारा उक्त मादक पदार्थ आरोपी राजू से लाना बताया है जिसके आधार पर आरोपी राजू को प्रकरण में संलिप्त कर उसे गिरफतार किया गया तथा उससे 590 ग्राम मादक पदार्थ गांजा जप्त किया गया। प्रकरण अभी विवेचनाधीन है।

केसडायरी/प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया, जिससे यह दर्शित है कि प्रकरण में आवेदक/आरोपी अनिल सहित सहआरोपी प्रिंस के भौतिक के आधिपत्य से 1 किलो 157 ग्राम मादक पदार्थ गांजा जप्त किया गया है तथा सहआरोपी राजेन्द्र उर्फ राजू के भौतिक आधिपत्य से 590 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा जप्त किया गया है। आवेदक/आरोपी अनिल से जप्तशुदा गांजा अल्प मात्रा 1 (किलोग्राम) से मात्र 157 ग्राम अधिक व वाणिज्यिक मात्रा 20 (किलोग्राम) से काफी कम है। आवेदक/आरोपी अनिल के विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक रिकार्ड भी अभिलेख पर नहीं है। प्रकरण अभी प्रारंभिक स्तर पर है, जिसके विचारण में समय लगने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। सहआरोपीगण को जमानत का लाभ दिया गया है। आवेदक/आरोपी दिनांक 23.07.2026 से अभिरक्षा में है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक/आरोपी **अनिल** का जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने से गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना उसकी ओर से प्रस्तुत प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. स्वीकार कर यह आदेशित किया जाता है कि उसकी ओर से न्यायालय की संतुष्टि योग्य **25 हजार** रूपये की **सक्षम प्रतिभूति** एवं इतनी ही राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र निम्न शर्तों के साथ प्रस्तुत किये जाने पर उसे प्रतिभूति पर मुक्त किया जावे :–

1– आवेदक/आरोपी विचारण के दौरान न्यायालय में अपरिहार्य कारण को छोड़कर नियमित रूप से उपस्थित रहेगा।

2– आवेदक/आरोपी मामले के साक्षियों को विपरीत रूप से प्रभावित नहीं करेगी तथा विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

3– आवेदक/आरोपी इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा।

आदेश की प्रति थाना कनाडिया, इंदौर की ओर एवं एक प्रति जिला जेल, इंदौर की ओर प्रेषित की जावे।

केसडायरी वापस की जावे।

जमानत आवेदन को सीआईएस में डिस्पोस कर आदेश अपलोड किया जावे।

प्रकरण पूर्ववत दिनांक 19.08.2026 को पेश हो।

मनीष कुमार लोवंशी
विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस एक्ट,
इंदौर म.प्र.

<u>प्रतिलिपिः–</u>

1. थाना प्रभारी, आरक्षी केन्द्र कनाडिया, इंदौर की ओर सूचनार्थ।
2. जेल अधीक्षक, जिला जेल इंदौर की ओर आरोपी अनिल उर्फ दादू की सूचना हेतु।

मनीष कुमार लोवंशी
विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस एक्ट,
इंदौर म.प्र.

MANISH KUMAR LOWANSHI

Digitally signed by MANISH KUMAR LOWANSHI
Date: 2026.08.07 16:51:25 +0530